

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 फरवरी 2024—माघ 23, शक 1945

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024

क्र. 2355-मप्रविस-16-विधान-2024.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ५ सन् २०२४

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक - २) विधेयक, २०२४

३१ मार्च, २०१४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) अधिनियम, २०२४ है.

३१ मार्च, २०१४ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रुपये १८,३७,९१,००० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये अठारह करोड़ सैंतीस लाख इक्यानवे हजार होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत प्रभारों को चुकाने के लिये ३१ मार्च, २०१४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २०१४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिए)

(१) अनुदान का क्रमांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) आधिक्य			
		पूंजीगत/राजस्व	मतदत्त रुपये	भारित रुपये	योग रुपये
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	१८,१८,४०,०००	-	१८,१८,४०,०००
२१.	आवास एवं पर्यावरण	पूंजीगत	-	१९,५१,०००	१९,५१,०००
योग :		राजस्व :	१८,१८,४०,०००	-	१८,१८,४०,०००
		पूंजीगत :	-	१९,५१,०००	१९,५१,०००
महायोग :			१८,१८,४०,०००	१९,५१,०००	१८,३७,९१,०००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के साथ पठित उसके अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिये उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो उक्त निधि पर भारत विनियोग से तथा 31 मार्च, सन् 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के व्यय हेतु विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों से अधिक हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ८ फरवरी, 2024

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.